राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-1) विभाग

सं. एफ.12(12)गृह-1/2013 जयपुर, दिनांक: 06-07-2020

अधिसूचना

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 71 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पुलिस नियम, 2008 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस नियम, 2008, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) में,-

(i) खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "; और" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) खण्ड (ज) में, विद्यमान विराम चिह्न "," के स्थान पर अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) इस प्रकार संशोधित, खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (झ) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) "ग्राम रक्षक" से अधिनियम की धारा 48 के अधीन इस प्रकार सूचीबद्ध कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

3. नये नियम 11क का अंत:स्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 11 के पश्चात् और विद्यमान नियम 12 से पूर्व निम्नलिखित नया नियम 11क अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**11क. ग्राम रक्षक.-** (1) कोई अभ्यर्थी, ग्राम या ग्राम समूहों के लिए ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध हो सकेगा।

Scanned with CamScanner

(2) ग्राम रक्षक की सूचीबद्धता के लिए आवेदन, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके स्व-अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अपेक्षित होगा,-

(i) शैक्षणिक अर्हताएं;

(ii) आयु का सबूत;

(iii) निवास का सबूत; और

(iv) गृह रक्षा स्वयंसेवक होने का सबूत या केन्द्रीय या राज्य अर्द्धसैनिक बल के भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक कार्मिक के मामले में पूर्ववर्ती नियोजन का सबूत।

(4) ग्राम रक्षक निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की अनुशंषा पर सूचीबद्ध किये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) संबंधित जिले का जिला पुलिस अधीक्षक	- अध्यक्ष
(ख) संबंधित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	- सदस्य
(ग) संबंधित वृत्त अधिकारी	- सदस्य

(5) सूचीबद्धता की प्रक्रिया में, अधिमान-क्रम और अर्हता ऐसी होगी जो अधिनियम की धारा 48 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(6) ग्राम रक्षक के रूप में किसी अभ्यर्थी की सूचीबद्धता से पूर्व,-

(i) उसका चरित्र उसके निवास के पुलिस थाने से सत्यापित किया जायेगा; और

(ii) आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

(7) ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध कोई अभ्यर्थी, सूचीबद्धता के समय 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 55 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।

(8) ग्राम रक्षक के रूप में केवल शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त अभ्यर्थी ही सूचीबद्ध किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(9) जिला पुलिस अधीक्षक, ऐसे प्रारूप में जो पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी ग्राम रक्षक के आवेदन, सूचीबद्धता/असूचीबद्धता, वैयक्तिक पत्रावली से संबंधित अभिलेख का संधारण करेगा।

(10) ग्राम रक्षक की सेवाएं स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक या प्रतिकर के होंगी।

(11) ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्धता की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी और किसी भी परिस्थिति में विस्तारित या नवीकृत नहीं की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

06/07/2020.

(राम निवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner